संख्या–740/XVII-4/2016–01(135)/2013–टी.सी.–1

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

1. निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

2. निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–4

देहरादून, दिनांक 24 मई, 2016

विषयः– राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग की विधवा पेन्शन प्राप्त कर रही विधवाओं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना को ऑन लाईन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा सामान्य वर्ग की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए संचालित योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने एवं निस्तारण की समयसीमा एवं पारदर्शी प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना अति आवश्यक प्रतीत हो रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 से उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदन से लेकर अनुदान स्वीकृत करने तक की समस्त प्रक्रियाओं को ऑन लाईन करने का निर्णय लिया गया है तथा इन प्रक्रियाओं हेतु समय सारणी एवं चरणबद्ध क्रियान्वयन प्रक्रिया का भी निर्धारण किया जा रहा है। योजनान्तर्गत आवेदन करने एवं ऑन लाईन प्रविष्टि करने, मार्गदर्शन एवं अन्य प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए एन0आई0सी0 द्वारा विकसित वेव पोर्टल ssp.uk.gov.in पर Login करना होगा। उक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया एवं समयसीमा का विवरण निम्नवत है :–

1. आवेदक स्वयं निर्धारित प्रारूप के आवेदन पत्र अपनी समस्त प्रविष्टियां ऑफ लाइन भरेगें। ऑफलाईन प्राप्त आवेदन पत्र की ऑन लाईन प्रविष्टि सम्बन्धित विकासखण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा की जायेगी। आवेदक मागें गये समस्त आवश्यक अभिलेखो को संलग्न कर सम्बन्धित विकासखण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय मे जमा करेंगे। सम्बन्धित विकासखण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सफलतापूर्वक ऑनलाईन आवेदन करने के उपरान्त ऑन लाईन एक प्राप्ति रसीद प्राप्त होगी जिस पर आवेदन का विवरण, आवेदन की स्थिति–पूर्ण या अपूर्ण, आवेदन क्रमांक तथा आवेदन करने का समय अंकित होगा। इस प्राप्ति रसीद पर सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी अपने हस्ताक्षर एवं मुहर को अंकित कर आवेदक को हस्तगत करेंगे। यदि आवेदक आवश्यक दस्तावेज संलग्न नही करता है तो उसका आवेदन अपूर्ण माना जायेगा, जिस हेतु आवेदक को एक माह में वह दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा यदि

वह उपलब्ध नही करा पाता है तो उस स्थिति में उसका आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

2. उपरोक्तानुसार सफलतापूर्वक भरे गये आवेदनों की स्थिति को सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी लॉग इन करके देख सकते है। ऑनलाईन प्राप्त आवेदन सहायक समाज कल्याण अधिकारी स्तर पर कितने समय से लंबित हैं, प्रदर्शित होगा। सहायक समाज कल्याण अधिकारी ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर आवेदनों का भौतिक सत्यापन करके सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाईन आवेदन अग्रेषित करेंगे।

3. सफलतापूर्वक आवेदनों की जांचोपरान्त प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर निम्न प्रकार से वरीयता सूची बनेगी। प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राप्ति का दिनांक तथा समय के वरीयता क्रम में अंकित करने के उपरान्त आवेदकों को निम्न वरीयतानुसार धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जायेगी –
   - (i) अन्तोदय कार्ड धारक आवेदनकर्ता।
   - (ii) बी०पी०एल० विधवा आवेदनकर्ता।
   - (iii) बी०पी०एल० आवेदनकर्ता।
   - (iv) अन्य।

4. बी०पी०एल० आवेदन कर्ता को बी०पी०एल० के साक्ष्य के रूप मे बी०पी०एल० कार्ड अथवा बी०पी०एल० क्रमांक का विवरण आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना होगा। इस सम्बन्ध मे अन्य कोई साक्ष्य मान्य नही होंगे।

5. सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदनों की स्वीकृति त्रैमासिक आधार पर की जायेगी तत्पश्चात् आवेदक को Neft/E-payment के माध्यम से अनुदान की धनराशि का भुगतान सीधे उसके सी०बी०एस० बैंक खाते में किया जायेगा।

6. आवेदक को अपने आवेदन की स्थिति से सम्बन्धित प्रत्येक चरण की जानकारी उसके पंजीकृत मोबाईल पर एस०एम०एस० के माध्यम से दी जायेगी। आवेदक चाहे तो वेबसाईट पर भी अपने ऑनलाईन आवेदन की स्थिति को देख सकता है।

7. यदि अस्थायी रूप से निरस्त किये गये आवेदन पुनः जांचोपरान्त सही पाये जाते है तो उन्हे स्वीकृति प्रदान की जा सकती है परन्तु स्थायी रूप से निरस्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

8. शादी अनुदान योजना हेतु प्रत्येक वर्ष की 01 मार्च से 28 एवं 29 फरवरी तक की शादी तिथियो से सम्बन्धित आवेदन स्वीकृत किये जायेगें तथा भुगतान की कार्यवाही माह मार्च तक पूर्ण की जायेगी। 28 एवं 29 फरवरी के बाद प्राप्त आवेदनो को अगले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत/भुगतान किये जायेगें।

9. आवेदक द्वारा माह मार्च के प्रथम सप्ताह तक शादी का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा यदि आवेदक शादी का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा नही करवाता तो आवेदक को उक्त अनुदान का भुगतान नही किया जायेगा, इस दशा में आवेदक का आवेदन पत्र स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।

शादी अनुदान हेतु अर्हता–

(I) आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो अथवा विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिला भी अपनी पुत्री की शादी हेतु पात्र होगी।

(II) आवेदक बी0पी0एल0 श्रेणी/अन्तोदय कार्ड धारक हो अथवा उसकी वार्षिक आय रू0 15,000/– से अधिक नही होनी चाहिए।

(III) शादी अनुदान हेतु परिवार की अधिकतम दो पुत्री ही पात्र होगी।

शादी अनुदान हेतु निम्न अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा–

(I) आवेदक का फोटो।

(II) आवेदक का जाति प्रमाण पत्र की प्रति जो कि तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो।

(III) आवेदक का आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति जोकि तहसील द्वारा वर्तमान में जारी किया गया हो (6 माह से पुराना न हो)।

(IV) बी0पीएल0 कार्ड/ क्रमांक की स्वप्रमाणित प्रति, जो खण्ड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

(V) आधार कार्ड/सं0 अनिवार्य है।

(VI) विधवा पेंशन प्राप्त करने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

(VII) अंतयोदय कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो)।

(VIII) राशन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।

(IX) शादी का पंजीकरण तथा पंजीकरण कार्यालय द्वारा प्रदत्त विवाह प्रमाण पत्र की प्रति।

(X) दुल्हन की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (हाईस्कूल का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर के नकल की प्रति/आधार कार्ड के स्वप्रमाणित प्रति)।

(XI) दुल्हे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (हाईस्कूल का प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/परिवार रजिस्टर की मूल प्रति/आधार कार्ड के स्वप्रमाणित प्रति)।

(XII) आवेदक एवं आवेदक के परिवार वालों ने इससे पूर्व पुत्री शादी व बीमारी योजना में एक से अधिक पुत्री के शादी के लिए इस योजना का लाभ नहीं लिया है, का शपथ पत्र।

शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदक को अनुदान कें रूप मे अधिकतम रू0 50,000/– की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है। जिसका भुगतान सीधे लाभार्थी के सी0बी0 एस0 बैंक खाते में किया जायेगा।

इस ऑनलाईन प्रणाली द्वारा आवेदको को शादी अनुदान कें प्रकरणों का त्वरित पारदर्शिता, निराकरण एवं अन्य लाभों को देखते हुए यह व्यवस्था एन0आई0सी0 के तकनीकी सहयोग सें समस्त जिलों मे तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है। प्रत्येक जिले के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी तथा जनजाति कल्याण निदेशालय (भगत सिंह कालोनी) में स्थापित समाज कल्याण के आई0टी0 सैल द्वारा भी विकासखण्डों में कार्यरत सहायक समाज कल्याण अधिकारियों एवं जिला समाज कल्याण अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया जायेगा। किसी भी खण्डों में कार्यरत सहायक समाज कल्याण अधिकारियों एवं जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा यदि शासनादेश मे वर्णित किसी प्राविधान का उल्लंघन किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. शासनादेश के समस्त प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

4. योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन/संचालित किये जाने में किसी भी स्तर पर शिथिलता बरते जाने पर इसे गम्भीरतापूर्वक लिया जायेगा।

योजना के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीया

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या- 748 /XVII-4/2016-01(135)/2013 टी.सी.-1, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिग, माजरा, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड।
9. उपनिदेशक/नोडल अधिकारी, आई0टी0सैल, देहरादून।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव।

Indu\G.O./General